{Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.I dated 24-5-2006 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India}.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. PER (AR) F (7)-2/98-Vol.I **Dated Shimla- 2 the 24th May, 2006**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, namely;

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the "Himachal Pradesh Right to Information (1st Amendment) Rules, 2006."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 3. 2. In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter called he said rules), in sub-rule (2) before the word "Challan", the words "Demand Draft payable to the concerned Department /Public Authority or" shall be inserted.

Amendment of Rule 6. 3. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), in clause (ii) before the work "Challan" the words "Demand draft or" shall be inserted.

Substitution of Form A. 4. For Form A appended to the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"Form 'A'
[See rule-3 (1)]

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

To

The Public Information Officer/Assistant Public Information Officer

(Name of the Department from which the information is sought)

(a) Subject matter of the information

(b) Period to which the information relates. Month & year

(c) Description of the information required

(d) File No. if available

(e) Whether the applicant claims exemption as below poverty line family, if yes, attach proof

---

(f) Particulars of Demand Draft or Challan No. amount and date

Applicant

Name____

Address______________

Telephone No.__________

....

ACKNOWLEDGEMENT

Received your application dated_______alongwith Demand draft/challan No.________amounting to Rs.____ vide diary No._____________dated______________

(Signature)
Public Information Officer/
Assistant Public Information Officer
Name of the Department/Public Authority "

No. Per (AR) F (7) 2/98-Vol.I Dated Shimla-2, the **24th May,*2006***

Copy forwarded to :-

1. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh Shimla-171002.
2. The Sr,.PS to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing & Stationary, HP, Shimla-171005 for publication in the official gazette (Extraordinary).

Under Secretary (AR) to the
Government of Himachal Pradesh

*****

Amendment of Form B. 5. In Form B appended to the said rules, for para 2, the following shall be substituted, namely:-

"2. You are required to pay the aforesaid amount of the additional fee by way of Demand Draft payable to the Department/Public Authority or deposit it through Challan and send a copy to the undersigned".

Amendment of Form D. 6. In Form D appended to the said rules, for column (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) Particulars of Demand Draft or challan No. amount and date".

Amendment of Appendix –I. 7. In Appendix-I to the said rules, in PART-I, for column 7, the following shall be substituted, namely:-

"7 Demand draft or challan No. and date".

Amendment of Appendix –II. 8. In Appendix-II to the said rules, for column 9, the following shall be substituted, namely:-

"9 Particulars of Demand draft or challan deposited in the treasury by PIO/APIO".

By order

S. Vijay Kumar
Principal Secretary (AR) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

संख्याः पी0ई0आर0(ए0आर0)एफ(7)–2 / 98–तोल0–1 तारीख शिमला–2 24 मई, 2006

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप–धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

नियम 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 के उप–नियम (2) में शब्द "चालान" से पूर्व "सम्बन्धित विभाग / लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

नियम 6 का संशोधन ।

3. उक्त नियमों के नियम 6,के उप–नियम (3) के, खण्ड (ii) में शब्द "चालान" से पूर्व "मांगदेय ड्राफ्ट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

प्ररूप "अ" प्रतिस्थापन ।

4. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–अ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप-- 'अ'

(नियम-3 (I) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन ।

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी / सहायक जन-सूचना अधिकारी

(उस विभाग का नाम जिसमें सूचना वांछित हैं)

(क) सूचना की विषय वस्तु ....

....

(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित हैं
मास और वर्ष

....

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण ।

(घ) नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो ।

(ङ) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होने की बावत छूट का दावा करता हैं, यदि हाँ, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, राशि और तारीख की विशिष्टयाँ ।

आवेदक

नाम..............................

पता..............................

दूरभाष संख्या.........................

अभिस्वीकृति

आपका..........तारीख को किया आवेदन मुबलिक रूपये..................के मांगदेय ड्राफ्ट / चालान संख्या................................सहित दैनिदनी संख्या..................तारीख..................द्वारा प्राप्त हुआ ।

(हस्ताक्षर)
जन-सूचना अधिकारी ।
सहायक जन-सूचना अधिकारी
विभाग / लोक प्रधिकारी का नाम"।

प्ररूप "आ" का संशोधन ।	5.	उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
	"2.	आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत्त करनी या इसे चालान द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है ।
प्ररूप ई का संशोधन ।	6.	उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ई के स्तम्भ (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
		"(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियाँ"।
परिशिष्ट । का संशोधन ।	7.	उक्त नियमों के परिशिष्ट । के भाग 1 में स्तम्भ 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
		"(7) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख" ।
परिशिष्ट ।। का संशोधन ।	8.	उक्त नियमों के परिशिष्ट ।। में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
		"(9) जन–सूचना अधिकारी/सहायक जन–सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की विशिष्टियाँ"।"

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार,
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठा0संख्या:पी0ई0आर0(ए0आर0)एफ(7)–2/98–वोल0–1 तारीख शिमला–2, 24 मई, 2006
प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 002
2. वरिष्ठ निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
3. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 002
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला 171005 से अनुरोध है कि वह इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड विधि विभाग हिमाचल प्रदेश सचिवालय ।

अवर सचिव
प्रशासनिक सुधार,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।